जल शक्ति मंत्रालय,भारत सरकार
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग
मुख्य अभियंता कार्यालय
निचली गंगा बेसिन संगठन
केंद्रीय जल आयोग, पटना

Ministry of Jal Shakti, Government of India
Deptt. of Water Resources, RD & GR
Office of the Chief Engineer
Lower Ganga Basin Organisation
Central Water Commission, Patna

CE/LGBO/HQ/NIQ/2019/ 1737-40 Dated 27.10.2026

नीलामी सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से अधीक्षण अभियंता (स.), नि.ग.बे.स, के.ज.आ., पटना द्वारा प्रतिष्ठित विक्रेताओं, बोनाफाइड फर्मों से "पुराने एवं अनुपयोगी / रद्दी वस्तुओं के निस्तारण **हेतु विभागीय नीलामी**" के लिए मुहरबंद कोटेशन आमंत्रित किए जा रहा हैं।

सीलबंद कोटेसन मुख्य अभियंता कार्यालय, निचली गंगा बेसिन संगठन, केंद्रीय जल आयोग, गंगा भवन, अमरनाथ रोड, अदालतगंज पटना के कार्यालय में 05/11/2026 को 15:00 बजे या उससे पहले पहुंच जाना चाहिए और उसी तिथि को **15:30 बजे** कोटेशन खोले जाएंगे। प्रतिष्ठित विक्रेताओं के इच्छुक प्रतिनिधि, कोटेशन प्रस्तुत करने वाली वास्तविक फर्म कोटेशन खोलने के दौरान कार्यालय में उपस्थित हो सकते हैं।

Sl. No.	Description of items	Last date and time of submission of quotation	Remarks
1.	**Departmental auction for disposal of old & unserviceable / scrap articles at Office of the Chief Engineer, LGBO, CWC, Patna.**	**05.11.2026 at 15:00 hrs.**	**As per Annexure I**

नियम एवं शर्तें: -

1. बोलियां सीलबंद कवर/लिफाफे में प्रस्तुत की जानी चाहिए, जिस पर "मुख्य अभियंता कार्यालय, नि.ग.बे.स, के.ज.आ., पटना में पुराने एवं अनुपयोगी / कबाड़ सामान के निस्तारण हेतु बोली, अंतिम तिथि 05/11/2026 समय 15:00 बजे" अंकित हो।
2. वस्तुओं की नीलामी "जैसी हैं, जहां हैं" के आधार पर की जाएगी।
3. दरों में GST आदि जैसे सभी कर शामिल होने चाहिए।
4. दर/राशि वित्तीय बोली में उल्लिखित अनुसार अंकों एवं शब्दों में उद्धृत की जानी चाहिए। बोलियों का मूल्यांकन समेकित दरों के आधार पर किया जाएगा। मदवार मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। कर एवं अन्य शुल्क, यदि कोई हों, तथा माल ढुलाई का खर्च बोलीदाता को वहन करना होगा।
5. सभी काट-छांट एवं ऊपर से लिखे गए संशोधनों पर कोटेशन देने वालों के आद्याक्षर होने चाहिए।
6. अनुपयोगी वस्तुओं की बिक्री के विरुद्ध पूर्ण भुगतान प्राप्त होने के बाद चोरी, सामान की चोरी-छिपे निकासी, आग या किसी अन्य अप्रत्याशित आपदा के कारण हुए नुकसान के लिए CWC किसी भी दावे पर विचार नहीं करेगा।
7. यदि किसी भी परिस्थिति में उद्घाटन की तिथि अवकाश का दिन होती है, तो कोटेशन अगले कार्य दिवस पर खोले जाएंगे।

अमरनाथ रोड, अदालतगंज, पटना-01
e-mail: celgbo-cwc@nic.in

Amarnath Road, Adalatganj,
Patna – 800001
e-mail: celgbo-cwc@nic.in

8. अधोहस्ताक्षरी बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी कोटेशन को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
9. उच्चतम बोलीदाता की बोली पूर्ण आरक्षित मूल्य की प्राप्ति के अधीन स्वीकार की जाएगी। किसी भी विवाद की स्थिति में, वस्तुओं की पुनः नीलामी की जाएगी।
10. नीलाम की गई वस्तुओं को पूर्ण भुगतान करने पर प्रस्ताव पत्र जारी होने के 14 दिनों के भीतर उठाना होगा; अन्यथा, जमा की गई बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी।
11. कोटेशन देने वालों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोटेशन देते समय उन्हें न तो काली सूची में डाला गया हो और न ही प्रतिबंधित किया गया हो।
12. कोटेशन स्वीकार किए जाने तथा उसका पत्र जारी किए जाने पर, सफल कोटेशन देने वाला, यदि चाहे तो, पत्र जारी होने के 7 दिनों के भीतर पूरी कोटेशन राशि नकद अथवा डिमांड ड्राफ्ट द्वारा "अधिशासी अभियंता, निचली गंगा प्रमंडल-2, केंद्रीय जल आयोग, पटना के पक्ष में जमा करने के पश्चात "जहां है, वहीं" के आधार पर सभी सामग्रियों को अपने कब्जे में ले लेगा।
13. उच्चतम बोली लगाने वाले का कोटेशन पूर्ण आरक्षित मूल्य की प्राप्ति के अधीन (Subject to realization full reserved value) स्वीकार किया जाएगा। किसी भी विवाद की स्थिति में, सामग्री की पुनः नीलामी की जाएगी।
14. इस बिक्री आय में उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद को मध्यस्थता के लिए अधीक्षण अभियंता (स.), नि.ग.बे.स, के.ज.आ., पटना को भेजा जाएगा, जिनका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।
15. इच्छुक पक्ष सूचीबद्ध सामग्रियों का निरीक्षण किसी भी कार्य दिवस (नीलामी के पहले) में पूर्वाह्न 11.00 AM से 4.00 PM तक मुख्य अभियंता, नि.ग.बे.स, के.ज.आ., पटना के कार्यालय में कर सकते हैं।
16. कोटेशन देने वालों को वैध PAN Card जमा करना होगा (सत्यापित प्रति कोटेशन के साथ संलग्न की जानी चाहिए)।
17. बोली 90 दिनों की अवधि के लिए वैध होगी।

संजय कुमार
27.10.2026.

(संजय कुमार)
अधीक्षण अभियंता (स.)

प्रतिलिपि-:

1. निदेशक सॉफ्टवेयर प्रबंधन निदेशालय, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली कृपया इस NIQ को केंद्रीय जल आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने की व्यवस्था करें।
2. अधिशासी अभियंता, निचली गंगा प्रमंडल-2, केंद्रीय जल आयोग, पटना ।
3. सहायक लेखा अधिकारी, निचली गंगा मंडल -2, केंद्रीय जल आयोग, पटना ।
4. सूचना पट्ट, मु. अभि. का., नि.ग.बे.स, के.ज.आ., पटना।

अनुलग्नक ।

Sr No.	Description of Stores	Quantity	Total	
		No.	Rate (RS.)	Total Scrap Amount (Rs.)
1	Attendance device Desktop Device	5		
2	Attendance device Tablet Device	1		
3	Computer with accessories and monitor (HP-3330)	6		
4	Fax Machine (canon)	1		
	Fax Machine (Panasonic)	1		
5	Micro wave Oven (Bajaj)	1		
6	Photocopier machine (Ricoh)	1		
7	Thermos 1 Liter (Prestige)	1		
8	Printer (HP 1136 MFP)	1		
	Printer (HP 1020)	1		
9	Revolving Chair steel (PCH-7001)	1		
	Revolving Chair steel (PCH-7001D)	1		
10	UPS (Microtek)	1		
	UPS (ELNOVA)	1		
	UPS (APC)	1		
	UPS (Luminous)	1		
	UPS (Numeric)	3		
11	Water Cooler (Voltas)	1		
	Total			